न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 260/25 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2025/766

उनवान

1. मोहन पुत्र लच्छीराम जी जाति गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) .....प्रार्थी

बनाम

1. उदीबाई पत्नी हरलाल जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. गणेशलाल पुत्र मोहन जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. सायरी माता स्व० डाली (पिता वाला) जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. लाली माता स्व० डाली (पिता वाला) जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बडियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. दुदा पिता माणिया जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. धापु पुत्री माणिया जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. भूरा पुत्र माणिया जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बडियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. शंकर माता स्व० भंवरीबाई जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार. तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. दिनु उर्फ विलु माता स्व० भंवरीबाई जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. मांगीलाल पुत्र हरलाल जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. जालुराम दत्तक पुत्र स्व० रूपा जाति मील, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
12. रामलाल पुत्र मोहन जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
13. लाली पत्नी मोहन जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
14. मांगीबाई पत्नी स्व० लोगरिया जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
15. भुरालाल पुत्र स्व० लोगरिया जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
16. सोहनी पुत्री स्व० लोगरिया जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
17. कालीबाई पत्नी स्व० चतरा जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
18. गंगा पुत्री स्व० चतरा जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
19. बबली पुत्री स्व० चतरा जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

20. दिनेश पुत्र स्व० चतरा जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
21. सुरेश पुत्र स्व० लालु जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील ज्ञब्ब मावली, जिला उदयपुर (राज०)
22. कब्बुड़ी पत्नी स्व. वेणा जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बडियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
23. गट्टू पुत्री स्व० वेणा जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील गावली, जिला उदयपुर (राज०)
24. शंकरलाल पुत्र हमेरा जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
25. शंकरी पुत्री माणिया जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
26. गीताबाई पत्नी पन्नालाल जाति गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
27. निशा पुत्री पन्नालाल जाति गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
28. बाबु बाई पुत्री भीमा जाति गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
29. ममता पुत्र पन्नालाल जाति गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
30. लक्ष्मीबाई पुत्री भीमा जाति गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
31. संजना पुत्री पन्नालाल जाति गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
32. सपना पुत्री पन्नालाल जाति गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
33. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री कमलेश, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री कैलाशन्द्र डांगी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2, 5, 10, 12, 15, 21, 24 ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम
संशोधित निर्णय

दिनांक : 26.05.2026

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा बड़ियार पटवार हल्का बड़ियार तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 540 रकबा 2.2500 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 26 से 32 के नाम स्वतन्त्र खातेदारी अधिकार से दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 26 से 32 की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की होकर हम अपने परिवारजनो सहित काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। किन्तु विपक्षी संख्या 1 से 25 हमारी उक्त आराजी के पूर्वी दिशा के पड़ौसी है जिस वजह से विपक्षी संख्या 1 से 25 हर समय हमारी आराजी की भूमि की सीमा को लेकर लड़ाई झगड़ा

करते है और हमें एवं हमारे परिवार को हमारी खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी करते है। इसलिए मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 26 से 32 की सहखातेदारी की कृषि भूमि का सीमांकन कर पूर्वी दिशा की सीमा की पत्थरगड़ी कराया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में हमारी भूमि की सीमा को लेकर विपक्षी संख्या 1 से 25 से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नही हो। अंत में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय का आदेश फरमाया जावें कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न आशय का आदेश फरमाया जावें कि उक्त वर्णित आराजी नम्बर 540 की पूर्वी दिशा की सीमा (सांकेतिक नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया है) का सीमांकन कराया जाकर स्थायी पत्थरगढ़ी कराई जावें तथा हमारी खातेदारी की भूमि विपक्षी संख्या 1 से 25 के कब्जे में पायी जावे तो उसका कब्जा भी मुझ प्रार्थी को विपक्षी संख्या 1 से 25 से दिलाये जाने का आदेश फरमाया जावें। साथ ही विपक्षी संख्या 1 से 25 को पाबन्द किया जावें कि वो हमारी खातेदारी एवं कब्जे उपयोग की आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, नुकसान नही पहुँचावे और हमारी कृषि भूमि का हमें व हमारे परिवारजनों को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, कच्चा/पक्का निर्माण कार्य नही करे, किसी प्रकार की रूकावट पैदा नही करे, न ही उक्त कार्य अपने नौकर चाकर एजेन्ट से ही करावें। ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र पेश है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2, 5, 10, 12, 15, 21, 24 का वकालत पत्र अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र डांगी द्वारा प्रस्तुत किया गया। पर्याप्त समय दिए जाने के पश्चात भी जवाब नही दिए जाने के कारण जवाब का अवसर बंद किया गया। दिनांक 12.03.2026 को अधिवक्ता विपक्षी संख्या 5, 7, 10, 21, 24 द्वारा जवाब पेश कर उनकी भूमि प्रार्थी के सटमा होने कारण पत्थरगड़ी से पूर्व सुने जाने का निवेदन किया। न्यायालय द्वारा न्यायहित में विपक्षीगण का जवाब रिकॉर्ड पर लिया गया। विपक्षी संख्या 5, 7, 10, 21, 24 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया की विपक्षीगण ने प्रार्थीगण एवं उनके परिवारजनो के साथ किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नही किया है। न ही प्रार्थी के परिवारजनो की कृषि भूमि में दखलन्दाजी की है। हम विपक्षीगण एवं प्रार्थीगण के मध्य में करीब 40 से 50 वर्ष पूर्व से बाड़ कर रखी है। जो बाड़ बना रखी है वो ही सीमा के स्थायी निशान है। विपक्षीगण के परिवारजन ने प्रार्थी की जमीन पर कब्जा करने का प्रयत्न कभी नही किया है। प्रार्थी जबरन हम गरीब लोगो की जमीन पर अपनी ताकत के बल पर कब्जा करना चा रहा है। अपनी ताकत के बल हमें डरा धमका कर हमारी जमीन छिनना चा रहे है। प्रार्थी जबरन हम विपक्षीगण की मीन पर

कब्जा करना चाह रहा है। प्रार्थी जबरन ताकत के बल पर जेसीबी लगाकर हमारी पूराने समय से बनी बाड़ को तोड़ कर हमारी जमीन के अन्दर जबरन पत्थर लगाकर निशान बनाने की कुचेष्ठा कर रहा है। जिसमें की हम विपक्षीगण के पुराने पेड़ो को तोड़ दिया है। प्रार्थी द्वारा चारो दिशाओ की पत्थरगड़ी करवाने का प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया। प्रार्थी द्वारा हमारी पैमाईश के समय की बनी हुई बाड़ को अकारण जेसीबी एवं अन्य लोगो के सहयोग से जबरन ताकत के बल पर लेने का प्रयास किया जिसकी रिपोर्ट हम विपक्षीगण द्वारा पुलिस थाना मावली में दी। जिससे बचने के लिए प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विशेष कथन में निवेदन किया की प्रार्थी केवल विपक्षी संख्या 1 से 25 से द्वेषता रखता है। जिससे कारण परेशान करना चाहता है। क्योंकि विपक्षी संख्या 26 से 32 तक पत्थरगड़ी नही करना चाहते है। क्योंकि वे प्रार्थी के साथ प्रार्थीगण के रूप में समायोजित नही हुए है। उक्त आराजीयात पर अन्य सहखातेदार का भी कब्जा है। प्रार्थी ने पटवारी पटवार हल्का से मिलिभगत कर उक्त गलत रिपोर्ट करवायी गयी है एवं पुलिस कार्यवाही से बचने का प्रयास किया है। क्यों कि सीमा संबंधित कोई विवाद नही हुआ है। जबरन ताकत के बल पर हमारी जमीन को कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है। अंत में निवेदन किया की विपक्षीगण का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावें।

3. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा बड़ियार पटवार हल्का बड़ियार तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 103 पर दर्ज आराजी नम्बर 540 रकबा 2.2500 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 26 से 32 के नाम सहखातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 26 से 32 उक्त भूमि के सह खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार उक्त आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 से 25 का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र प्रकरण में अपनी स्वयं एवं विपक्षी संख्या 26 से 32 की सहखातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। विपक्षी संख्या 2, 5, 10, 12, 15, 21, 24 का कथन है कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र केवल में हम विपक्षीगण की भूमि पर ताकत के बल पर कब्जा करने हेतु प्रस्तुत किया है। जबकि मौके पर पैमाईश के समय से ही बाड़ बनी हुई है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि यह प्रकरण कब्जा प्राप्त करने एवं घोषणा से संबंधी नही है। यह प्रकरण केवल मात्र प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 26 से 32 के नाम दर्ज भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी की जानी है। उक्त भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी कर दी जाती है तो प्रार्थी, विपक्षी संख्या 26 से 32 एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा संबंधी विवाद नही

रहेगा। सीमा संबंधी विवाद नही हो इसलिये प्रार्थी को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। साथ ही न्यायालय का यह भी मानना है कि सीमाज्ञान कर पत्थरगड़ी के पश्चात किसी भी पक्षकार को पेड़ काटने या भूमि एक दूसरे के कब्जे में पायी जाने पर ताकत के बल पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकार किसी भी पक्ष को नही है। उक्त प्रकरण के माध्यम से केवल मात्र सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगड़ी की जायेगी। पत्थरगड़ी के पश्चात यदि किसी खातेदार की भूमि पड़ौसी खातेदार की भूमि में पाई जाती है तो वह उस भूमि का कब्जा प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर ही अनुतोष प्राप्त कर सकता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

: : <u>आदेश</u> : :

4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/—रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा बड़ियार पटवार हल्का बड़ियार तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 103 पर दर्ज आराजी नम्बर 540 रकबा 2.2500 हैक्टेयर भूमि का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पूर्वी दिशा में पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थीगण, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। यथासंभव पत्थरगडी प्रार्थीगण, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगडी की जानी है। उक्त आदेश केवल मात्र पत्थरगड़ी किये जाने का दिया गया है। उक्त निर्णय के संदर्भ में किसी प्रकार को पेड़ नही काटा जावे तथा एक दूसरे को कब्जे से बेदखल करने का प्रयास नही करें। उभय पक्षो का पत्थरगड़ी करने के पश्चात कब्जे संबंधी मौके पर विवाद पाया जाता है तो इस संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।
5. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर